

40/7005

209

[भाग]

# श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980

16-11-85

(1980 का अधिनियम संख्यांक 52)

[3 दिसम्बर, 1986 को यथाविद्यमान]

[3 दिसम्बर, 1980]

केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए और उसके निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केव्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित करे।

2. केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम के उद्देश्य ऐसे हैं जो उस संस्था को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अतः इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम नामक संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है।

श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम का राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाना।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) "अध्यक्ष" से शासी-निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ग) "निधि" से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है;

(घ) "शासी-निकाय" से संस्थान का शासी-निकाय अभिप्रेत है;

(इ) "संस्थान" से इस अधिनियम के अधीन निगमित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नामक संस्था अभिप्रेत है;

(झ) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है;

(ঁ) "सभापति" से संस्थान का सभापति अभिप्रेत है;

(৩) 1981 (७) ; (৮) ১০ ; ১২ ; ২৫ (৩) / 17-2-1981

(ज) "विनियम" से संस्थान द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है;

(झ) "नियम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया नियम अभिप्रेत है।

संस्थान का नियमन ।

4. इसके द्वारा श्री चित्ता तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, तिवेन्द्रम को श्री चित्ता तिरुनल आयुविज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिवेन्द्रम नाम का एक नियमित निकाय गठित किया जाता है और ऐसे नियमित निकाय के रूप में उसका शास्त्र उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति अर्जन, धारण और व्ययन करने का और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से बाद लाएगा और उस पर बाद लाया जाएगा।

संस्थान की संरक्षण।

XVII  
XVIII

5. संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) केरल विश्वविद्यालय को कुलपति, पदेन;

(ख) भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, पदेन;

(ग) निदेशक, पदेन;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले चार सदस्य होंगे जो, यथास्थिति, उस सरकार या उसके विभाग के क्रमशः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हों;

(ङ) केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो सदस्य होंगे जो, यथास्थिति, उस सरकार या उसके विभाग के क्रमशः योजना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हों;

(च) नियमों द्वारा विहित रीति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विज्ञानी होंगे जिनमें से दो चिकित्सा विज्ञानी होंगे और एक सामाजिक विज्ञानी होना;

(छ) नियमों द्वारा विहित रीति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विज्ञानी जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ज) संस्थान के जीव-आयुविज्ञान प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान, पदेन ;

(झ) नियमों द्वारा विहित रीति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के आयुविज्ञान संकायों के तीन प्रतिनिधि ; और

(ञ) संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, निर्वाचित किए जाएंगे ।

सदस्यों की पदावधि और उच्चके बीच होने वाली रिक्तियाँ ।

6. (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी ।

(2) धारा 5 के खण्ड (ञ) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह उस सदन का, जहां से वह निर्वाचित किया गया, या इस नंबरी

वह लोक सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्य सभा का उपसभापति अथवा कोई मंत्री न जाता है ।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है।

(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की अवशिष्ट अवधि के लिए होगी जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ था।

(5) धारा 5 के खण्ड (3) के अधीन निर्वाचित सदस्य से भिन्न पदावरोही सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निर्देशन दे, पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता।

(6) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन का पात्र होगा।

(7) कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे अपना पद त्याग सकेगा किन्तु वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक सरकार उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेती।

(8) सदस्यों के मध्य रिक्तियां भरने की रीति वह होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाए।

7. (1) संस्थान का एक सभापति होगा जो संस्थान के निर्देशक से भिन्न संस्थान का उसके सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) सभापति उन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम में अधिकथित किए जाएं या नियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

8. सभापति और अन्य सदस्यों को, संस्थान से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, सभापति और सदस्यों के भत्ते।

9. संस्थान अपना पहला अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार नियत करे और पहले अधिवेशन में कार्य-संचालन के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो उसे सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं और उसके पश्चात् संस्थान ऐसे समय और स्थान पर अपना अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशन में कार्य-संचालन के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

10. (1) संस्थान का एक शासी-निकाय होगा जिसका गठन संस्थान द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो संस्थान के सदस्य नहीं हैं, शासी-निकाय की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

(2) शासी-निकाय संस्थान की कार्यकारिणी समिति होगा और वह उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन करेगा जिन्हें संस्थान इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित करें।

(3) संस्थान का सभापति शासी-निकाय का अध्यक्ष होगा और वह उसके अध्यक्ष के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) शासी-निकाय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी-निकाय के सदस्यों

की पदावधि और उनके मध्य रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(5) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अधीन रखते हुए, जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, संस्थान उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे मामले में, जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, जांच करने अथवा रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे।

(6) शासी-निकाय से उसके संबंध में अध्यक्ष और सदस्यों को तथा किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, मिलेंगे जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

संस्थान के कर्म-  
चारिकृद ।

11. (1) संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो संस्थान के निदेशक के रूप में अभिहित किया जाएगा और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु संस्थान का प्रथम निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, संस्थान और शासी-निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या जो उसे संस्थान द्वारा या संस्थान के सभापति द्वारा या शासी-निकाय या शासी-निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड अवधारित कर सकेगा।

(5) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान के निदेशक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य मामलों में सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होंगे जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

संस्थान के उद्देश्य ।

12. संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) जीव-आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी को प्रोत्तत करना ;

(ख) उच्च चिकित्सीय विशेषज्ञताओं के क्षेत्र में रोगी की देखभाल के उच्च स्तर के प्रदर्शन का उपबन्ध करना ; और

(ग) उच्च चिकित्सीय विशेषज्ञताओं और जीव-आयुर्विज्ञान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्चतम क्वालिटी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना।

संस्थान के कृत्य ।

13. संस्थान घारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्रोत्तत करने की दृष्टि से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगा :—

(क) आधुनिक आयुर्विज्ञान और अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में जिनके अन्तर्गत भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान भी हैं, स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान की ऐसी विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना;

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सीय और प्रौद्योगिक शिक्षा की समेकित पद्धतियों में संतोषप्रद स्तर प्राप्त करने के लिए उसे में प्रयोग करना;

(घ) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम विहित करना;

(ङ) जीव-आयुर्विज्ञान संबंधी विज्ञानों और प्रौद्योगिकी में अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

(च) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित की स्थापना करना और उन्हें बनाए रखना—

(i) एक या अधिक सुसज्जित अस्पताल; और

(ii) जीव-आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए एक या अधिक केन्द्र;

(छ) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और जीव-आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी में परीक्षाएं संचालित करना और ऐसी उपाधियाँ, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियाँ और पदावधियाँ देना जो विनियमों में अधिकारित की जाएं;

(ज) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और किसी अन्य पद को विनियमों के अनुसार संस्थित करना और उन पदों पर व्यक्तियों को नियुक्ति करना;

(झ) सरकारों से अनुदान प्राप्त करना और यथास्थिति, संदाताओं, उपकारियों, वसीयतकर्ताओं या अन्तरकों द्वारा दान, संदान, उपचुतियों, वसीयतों और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण को प्राप्त करना;

(ञ) संस्थान की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति के संबंध में ऐसी किसी रीति से कार्यवाही करना जो धारा 12 में विनियिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझी जाए;

(ट) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मोग करना और उन्हें प्राप्त करना जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं; और

(ठ) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो धारा 12 में विनियिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों।

सम्पत्ति का निहित होना।

संस्थान को संदाय।

14. इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व सभी सम्पत्तियाँ जो श्री चित्ता तिरुनल मेडिकल सेंटर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, निवेदनमें निहित हों गई थीं, ऐसे प्रारम्भ से ही संस्थान में निहित होगी।

15. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित विधि द्वारा किए गए सम्बंधित विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि ऐसी रीति से देगी जिसे वह सरकार इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का निवहन करने के लिए आवश्यक समझे।

16. (1) संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए संस्थान की निधि ।  
जाएंगे—

(क) वह सभी धन जो केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार द्वारा दिया गया हो;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपचानियों; वसीयतों या अन्तरणों के रूप में प्राप्त सभी धन; और

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान को प्राप्त सभी धन।

(2) निधि में जमा किए गए सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जिसे संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों की, जिनके अत्तर्पत धारा 13 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में किए गए व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए किया जाएगा।

17. संस्थान प्रति वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष की बाबूत एक बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो नियमों द्वारा विहित किया जाए और जिसमें संस्थान की प्राकलित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार को उसकी उतनी प्रतियां भेजेगा जितनी नियमों द्वारा विहित की जाएं। संस्थान का बजट।

18. (1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे और ऐसे साधारण निवेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे। लेखा और संपरीक्षा।

(2) संस्थान के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के और संस्थान के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार, तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहिर्या, लेखा, सम्बद्ध वाचक्त्र तथा अन्य दस्तावेज़ों और कागज पत्रों को पेश किए जाने की मांग करते और संस्थान के कार्यालयों और उसके द्वारा स्थापित और बनाई गई संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष बेन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के द्वीनों सदनों के समझ रखवाएगी।

## वार्षिक रिपोर्ट।

पेन्शन और भविष्य निधि।

संस्थान के आदेशों  
और लिखतों का  
अधिप्रमाणीकरण।

कार्यों और  
कार्यवाहियों का  
रिक्तियों, आदि  
के कारण अविधिमान्य न होना।

संस्थान द्वारा आयु-  
विज्ञान उपाधियां,  
डिप्लोमे आदि  
को प्रदान किया  
जाना।

संस्थान द्वारा  
प्रदत्त आयुविज्ञान  
अर्हताओं की  
मान्यता।

केन्द्रीय सरकार  
द्वारा नियंत्रण।

संस्थान और  
केन्द्रीय सरकार के  
बीच विवाद।

विवरणियां और  
जानकारी।

विद्यमान कर्म-  
चारियों की सेवा  
का अन्तरण।

19. संस्थान प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसे प्रृष्ठ में और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो नियमों द्वारा विहित की जाए केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति उसको प्राप्ति के पश्चात्, यथाकल्पशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी।

20. (1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं ऐसी पेंशन नियत करेगा और भविष्य निधि स्थापित करेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहाँ ऐसी कोई पेंशन नियत की गई है या भविष्य निधि स्थापित की गई हो, वहाँ केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकती कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपर्युक्त उस निधि को वैसे ही लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

1925 का 19

21. संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय सभापति के या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे और अन्य सभी लिखतें निदेशक के या संस्थान द्वारा उसी रीति से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जाएंगी।

22. संस्थान, शासी-निकाय या किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा ऐसे अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि संस्थान, शासी-निकाय या ऐसी किसी स्थायी या तदर्थ समिति में, कोई रिक्त या उसके गठन में कोई लुटि रह गई थी।

23. उस समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन शक्ति होगी कि वह आयुविज्ञान उपाधियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां प्रदान कर सके।

24. भारतीय आयुविज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुविज्ञान उपाधियां और डिप्लोमे उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुविज्ञान अर्हताएं होंगी और उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित समझी जाएंगी।

25. संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर दिए जाएं।

26. यदि संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कुत्यों के निर्वहन करने में या उसके संबंध में संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

27. संस्थान केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जिसकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

28. इस अधिनियम के 'उपबन्धों' के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व श्री चित्ता तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडिज इन स्पेशियलिटीज, इन्वेन्ट्रमेंट में नियोजित था, ऐसे प्रारम्भ

1956 का 102

से ही संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या सेवा उसी अवधि के लिए, उन्हीं पारिश्रमिकों और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों को धारण करेगा जैसा कि वह यदि यह अधिनियम पासित करता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाए या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबन्धन और शर्तों को विनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाए :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा की अवधि, पारिश्रमिक तथा निबन्धन और शर्तें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके अलाभकार रूप में परिवर्तित नहीं की जाएंगी ।

29. संस्थान, केरल राज्य की सरकार और जनता को और केन्द्रीय सरकार को सुविधाएं देता रहेगा और ऐसी सुविधाएं किसी भी बात के बारे में ऐसी सरकारों और जनता के पश्च में उससे कम नहीं होंगी जितनी उन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उनको दी जाती थीं, और वे ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर (जिनमें ऐसी सुविधाओं को व्यवस्था के लिए किए जाने वाले अंशदान से संबंधित निवन्धन और शर्तें भी हैं) जो संस्थान, केरल राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच करार पाया जाए, उपलब्ध कराई जाएंगी ।

30. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित आवेदन द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निवेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो ।

31. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, संस्थान से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन पहली बार नियम बनाने के समय संस्थान से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्हीं सुझावों पर विचार करेगी जो संस्थान इन नियमों के बनाए जाने के पश्चात् उनमें कोई संशोधन किए जाने के संबंध में दे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के खण्ड (च), (छ) और (झ) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति ;

(ख) धारा 6 के अधीन सदस्यों के बीच हुई रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(घ) धारा 8 के अधीन सभापति या अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन के संबंध में नियंत्रण और निर्बन्धन ;

(च) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निवेशक की नियुक्ति ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन संस्थान द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और ऐसी नियुक्ति की रीति ;

(ज) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान के निवेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते ;

संस्थान में सुविधाओं का चालू रखा जाना ।

कठिनाईया दूर करने की शक्ति ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(क) वह प्रूप जिसमें और वह समय जब धारा 17 के अधीन संस्थान द्वारा बजट तैयार किया जाएगा और उनकी प्रतियों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार की भेजी जाएंगी;

(अ) वह प्रूप जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान लेखे का वार्षिक विवरण तुलनपत्र सहित तैयार करेगा;

(ट) वह प्रूप जिसमें और वह तारीख जिसको धारा 19 के अधीन संस्थान के क्रियाकलापों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी;

(ठ) वह प्रूप जिसमें और वह रीति जिससे धारा 27 के अधीन रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी जानी हैं;

(ड) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

32. (1) संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना इन विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ख) धारा 9 के अधीन संस्थान के पहले अधिवेशन को छोड़कर शेष अधिवेशनों का बुलाया जाना और आयोजित किया जाना, वह समय और स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किए जाएंगे, और ऐसे अधिवेशनों में कार्य संचालन और गणपूति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या;

(ग) धारा 10 के अधीन शासी-निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन की रीति, शासी-निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के सदस्यों की पदावधि और उनमें होने वाली रिक्तियों को भरने की रीति;

(घ) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन शासी-निकाय और अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन शासी-निकाय के और स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भर्ते, यदि कोई हैं;

(च) धारा 10 के अधीन शासी-निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों द्वारा अपने कार्य संचालन में शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ज) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए अध्यापक भी हैं, पदावधि, वेतन, भर्ते और सेवा की अन्य शर्तें;

(झ) धारा 13 के अधीन संस्थान की सम्पत्ति का प्रबंध;

(ञ) धारा 13 के खण्ड (छ) के अधीन संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां;

(ट) धारा 13 के खण्ड (ज) के अधीन आचार्यपद, उपाचार्य पद, प्राच्यापक पद और अन्य पद जो संस्थान किए जाएं और ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों और अन्य पदों पर नियुक्त किए जाएं;

(ठ) धारा 13 के खण्ड (ट) के अधीन संस्थान द्वारा मांगी जा सकने वाली और उसे प्राप्त होने वाली फीस तथा अन्य प्रभार;

(ड) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, संस्थान के

अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन पेंशन दी जाए या भविष्य निधि स्थापित की जाए;

(३) धारा 28 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की पदावधि, उनके पारिश्रमिक और सेवा के निबन्धन और शर्तों से संबंधित विषय;

(४) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए।

(२) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी; इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए विनियम में संस्थान उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन या विखण्डन कर सकेगा।

33. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रयेक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिये सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

21481

## प्रादेशिक सेना (संशोधन) अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 53)

[9 दिसम्बर, 1980]

प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948

का और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रादेशिक सेना (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1980 है।

1948 का 56

2. प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 की धारा 14 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 14 का संशोधन।

“(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।”।



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-के.एल.-अ.-26062020-220186  
CG-KI-E-26062020-220186

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 23, 2020/आषाढ़ 2, 1942  
No. 225] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 23, 2020/ASHADHA 2, 1942

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

अधिसूचना

त्रिवेन्द्रम, 27 दिसंबर, 2019

सं.पीएण्डए.।/विनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएसटी/2017—श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की धारा 32 उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम 1981 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् –

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम(संशोधन) विनियम 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम(संशोधन) विनियम 1981 की तीमरी अनुमूली में –  
(क) पैरा 9 में  
(i) खंड (क) में "1700 रु प्रति मास" अश्वर, शब्दों और अंकों के स्थान पर "144200 रुपये प्रति मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (ख) में "1700 रु प्रति मास" अक्षर, शब्दों और अंकों के स्थान पर "144200 रुपये प्रति मास" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) पैरा 12 में "जहां संविदा की कुल रकम 2,00,000 रु. से अधिक नहीं है," अक्षर, चिह्न, अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

डॉ. आशा किशोर, निदेशक

[विजापन-III/4/असा-/88/2020-21]

टिप्पण -मूल विनियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सा.का.नि 379 (अ) तारीख 23 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं डीआईआर- 3(2)/9/एसमीटीआईएसागटी/2014 तारीख 30 अप्रैल 2015 द्वारा अंतिम रांशोधन किया गया।

**SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES & TECHNOLOGY  
TRIVANDRUM**

**NOTIFICATION**

Trivandrum, the 27th, December, 2019

No.P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act, 1980 (52 of 1980) read with sub-section (2) thereof, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981, namely:-

1.(1) These regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, Trivandrum Regulations, 1981, in Schedule III,-

(a) in paragraph 9,

(i) in clause (a), for the letters and figures "Rs.1700 p.m.", the letters, figures and words "Rs. 1,44,200 per month" shall be substituted;

(ii) In clause (b), for the letters, figures and words " Rs.1700 per month", the letters, figures and words "Rs.1,44,200 per month" shall be substituted;

(b) in paragraph 12, the words, letters and figures", and where the total amount of the contract does not exceed Rs.2,00,000" occurring at the end shall be omitted.

Dr. ASHA KISHORE, Director  
[ADVT-III/4/Ext/88/2020-21]

**Note:-** The Principal regulations were published in Gazette of India, Part, II, section 3, sub- section (i) vide G.S.R. 379 (E), dated the 23<sup>rd</sup> June, 1981 and last amended vide No.Dir-III(2)/9/SCTIMST/2014 dated 30.04.2015.



# आरत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229056

CG-DL-E-16082021-229056

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]

No. 339]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943

श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेदम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

सं.पी और ए.इ/अधिनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2020.—केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काड़र में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाप्ति करिपय केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के काड़र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का 7 मार्च, 2019 से उपबंध करता है:

और श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के मंस्था निकाय और शासी निकाय ने उमके नारीख 6 जुलाई, 2019 के मंकल्प यह उल्लेख किया है कि केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काड़र में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं में जिमके अतर्गत राष्ट्रीय महत्व की मंस्थाएँ, उन मंस्थाओं के भिवाय, जो उन अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, सम्मिलित हैं, सभी समूह 'क' शैक्षणिक पदों को लागू होता है;

और संस्था निकाय और शासी निकाय ने सभी पदों पर सीधी भर्ती में और श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेदम में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में संबंधित अभ्यार्थियों के संवंध में केंद्रीय मरकार वी आरक्षण नीति को लागू करने का भी विनिश्चय है;

- अतः अब, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेदम, केंद्रीय मरकार के पूर्व अनुमोदन में केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काड़र में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), की धारा 2 के माथ पठित उमकी धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेदम, विनियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम लानाता है। अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का मध्यस्थ नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, विवेद्रम (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) राजपत्र में उत्तर प्रकाशन की तारीख को प्रभून होगे।

2. (1) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, विवेद्रम विनियम, 1981 के विनियम 28 को उसके उपविनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) समूह 'क' शैक्षणिक पदों को भरते समय केंद्रीय शिक्षा संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का 10), में अधिकथित आरक्षण नीतियों का यथावश्यक परिवर्तन सहित अनुसरण करेगा;

(ख) उन पदों के संबंध में, जो खंड (क) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, केंद्रीय सरकार के अधीन पदों को मीधी भर्ती द्वारा भरने में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसरण की जाने वाली आरक्षण नीतियों के आधार पर अनुमूलित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विद्यमान आरक्षण का अनुसरण करेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी आरक्षण प्रदान करेगा।"

प्रोफ. (डॉ). अजित कुमार वी. के., निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./193/2021-22]

टिप्पण: श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, विवेद्रम विनियम, 1981 भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 618, तारीख 23 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक पीएण्डए.1/विनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2017 तारीख 27 दिसंबर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

### SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY TRIVANDRUM

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

No. P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2020.—Whereas the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) provide for reservation in appointments by direct recruitment for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions, as defined in clause (c) of section 2 of the said Act, with effect from the 7<sup>th</sup> day of March, 2019;

And whereas the Institute Body and Governing Body of Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology have vide their resolution, dated the 6<sup>th</sup> July, 2019, stated that the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) applies to all the Group 'A' academic posts in Central Educational Institutions including institutions of national importance except those institutions listed in the Schedule to the said Act;

And whereas the Institute Body and Governing Body have also decided to implement the reservation policy of the Central Government with respect to candidates belonging to economically weaker sections in direct recruitment to all posts and in Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act 1980 (52 of 1980) read with sub-section (2) thereof, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Amendment) Regulations, 2020.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. (1) In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981, Regulation 28, shall be re-numbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered the following sub-regulation shall be inserted, namely:-  
 "(2) The Appointing Authority shall, in filling vacancies,-  
 (a) in Group 'A' academic posts, *mutatis mutandis* follow the reservation policies laid down in the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019).  
 (b) in respect of posts other than those referred to in clause (a), continue to follow the existing reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes and also grant reservation for economically weaker sections on the basis of the reservation policies followed by the Central Government from time to time in filling vacancies by direct recruitment in posts under the Central Government."

Prof. (Dr.) AJIT KUMAR V.K., Director

[ADVT.-III/4/Exty /193/2021-22]

**Note :** The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981 was published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), vide notification number G.S.R. 618, dated the 23<sup>rd</sup> June, 1981 and lastly amended vide notification number P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2017 dated 27.12.2019



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244481  
CG-DL-E-18032023-244481

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176।  
No. 176।

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवंबर, 2022

**फा. सं. एआई/18/11/एससीटीआईएमएसटी/2022**—लाभ का पद से संबंधित संयुक्त समिति ने अपनी तारीख 29 मार्च, 2022 की सातवीं रिपोर्ट में श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 के विनियम 22 का आतिथ्य प्रभारों के उपवंध को हटाकर संशोधन करने की सिफारिश की है, ताकि श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम में नागरिकीय संसद् सदस्यों की संविधान के अनुच्छेद 102 के उपखंड (क) के खंड (1) के निवंधनों में निरहता का निवारण किया जा सके, क्योंकि आतिथ्य प्रभार संसद् (निरहता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के अधीन यथा परिभाषित प्रतिकर भत्तों के अधीन नहीं आते हैं;

और श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के शासी निकाय ने तारीख 22 जून, 2022 के अपने संकल्प द्वारा श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 के विनियम 22 के संशोधन की कार्रवाई का अनुमोदन कर दिया है और उक्त संकल्प का श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के संस्थान द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया है;

अतः, अब, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, विनियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 के विनियम 22 में, "यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आतिथ्य प्रभार" शब्दों के स्थान पर, "यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता" शब्द रखे जाएंगे।

डॉ. संजय बिहारी, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./702/2022-23]

**टिप्पण :** श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 618, तारीख 23 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना पीएंडआई/विनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2020, तारीख 24 दिसंबर, 2020 द्वारा किया गया था।

### SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

F. No. AI/18/11/SCTIMST/2022.—Whereas the Joint Committee on Offices of Profit, in its Seventh Report, recommended for amendment of regulation 22 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981 in its report, dated the 29th March, 2022, by removing the provision of hospitality charges, so as to prevent disqualification of Members of Parliament nominated to Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum in terms of article 102 sub-clause (a) of clause (1) of the Constitution, as hospitality charges are not covered under compensatory allowance as defined under clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959);

And whereas the Governing Body of Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology have vide its resolution, dated the 22<sup>nd</sup> June, 2022, approved action to amend regulation 22 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981 and the said resolution was also approved by the Institute Body of Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act 1980 (52 of 1980) read with sub-section (2) thereof, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Amendment) Regulations, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981, in regulation 22 for the words "travelling allowance, daily allowance and hospitality charges", the words "travelling allowance and daily allowance" shall be substituted.

Dr. SANJAY BEHARI, Director  
[ADVT.-III/4/Exty./702/2022-23]

**Note:-** The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981 was published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R.618, dated the 23rd June, 1981 and last amended vide notification number P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2020, dated the 24<sup>th</sup> December, 2020.